आ0सं0:-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-45/2021..............दिनांक-

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

आदेश

संवेदक, मे० सुभद्रा इंटरप्राईजेज, Ramkriti, East of Park Gate,Shivpuri, Chitkohra,PO-Anisabad, Gardanibagh, Patna, Pin-800002 द्वारा मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अन्तर्गत मधेपुरा जिला के अन्तर्गत गम्हरिया प्रखंड के पारस मणि उच्च विद्यालय बभनी में फुटबॉल स्टेडियम, मधेपुरा जिला के अन्तर्गत सिंहेश्वर प्रखंड के संर्कस मैदान सिंहेश्वर के पूरब तक (जर्जर आपदा शेड के पास) के खेल मैदान में 300 मी० ट्रैक युक्त स्टेडियम एवं सुपौल जिलान्तर्गत सुपौल प्रखंड के उ0म०वि० सुपौल(विलियम्स) में फुटबॉल स्टेडियम के निर्माण कार्य के निविदा में अनुभव प्रमाणपत्र में निर्गत संख्या एवं दिनांक नहीं रहने के कारण मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के पत्रांक-1097 दिनांक-28.05.2021 द्वारा इस हेतु संवेदक को दोषी मानते हुए इनके विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी। तत्पश्चात् अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के पत्रांक-5409(भ) दिनांक-15.09.2021 द्वारा संवेदक के निबंधन को आदेश निर्गत होने की तिथि से तीन वर्षों के लिये निलंबित किया गया ।

उक्त निलंबन आदेश के खिलाफ संवेदक द्वारा दिनांक-24.09.2021 को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक अपील आवेदन समर्पित किया गया । अपील अभ्यावेदन के क्रम में दिनांक-19.11.2021 एवं 24.12.2021 (पूर्वाह्न 11:00 बजे) को सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की गई । उक्त तिथियों को संवेदक उपस्थित नहीं हुए । तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-7693 दिनांक-29.12.2021 के द्वारा एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए उनके अपील अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया ।

पुनः संवेदक द्वारा दिनांक-02.02.2023 को पुनर्विचार अपील आवेदन समर्पित किया गया । उक्त अपील पर कार्रवाई के क्रम में विभागीय पत्रांक-3203 दिनांक-19.04.2023 द्वारा कार्यपालक अभिता, मुजफ्फरपुर प्रमंडल कैम्प, हाजीपुर के द्वारा संवेदक से समर्पित कागजातो की जाँच करने का अनुरोध किया गया है । कार्यपालक अभियंता, मुजफ्फरपुर प्रमंडल कैम्प, हाजीपुर के पत्रांक-790 दिनांक-04.05.2023 के द्वारा सूचित किया गया कि संवेदक सुभद्रा इन्टरप्राइजेज को तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के द्वारा हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाणपत्र का मिलान किया गया जिसमें अंकित मात्रा सामान्य एवं सही पाया गया जिसके आधार पर संवेदक के पुनर्विचार आवेदन पर दिनांक-14.07.2023 को सभी तथ्यों का जाँच किया गया तथा जाँचोपरांत कागजात सही पाया गया ।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय पत्रांक-5409(भ) दिनांक-15.09.2021 द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाता है ।

ह0/-

(राकेश कुमार)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-45/2021 पटना,दिनांक-

स्पीडपोस्ट

प्रतिलिपिः-मे० सुभद्रा इंटरप्राईजेज, Ramkriti, East of Park Gate,Shivpuri, Chitkohra, PO-Anisabad, Gardanibagh, Patna, Pin-800002के निबंधन सं०-PHED,Class-1/1004/2019 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-45/2021 5848(m) पटना,दिनांक- 20/7/23

प्रतिलिपिः- सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग,/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/7/23

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव